कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री भगवती फूड्स प्रा0 लि0, आरजी सं0-1618, सचेन्डी, कानपुर ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**019 / 14, 10.03.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री ओ0 पी0 निगम, विद्वान अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री भगवती फूड्स प्रा0 लि0, आरजी सं0-1618, सचेन्डी, कानपुर द्वारा दिनांक 10.03.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि क्या उनकी फर्म को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (a) के अन्तर्गत ' जाब वर्क ' के आधार पर ब्रिटानिया कम्पनी के बिस्कुट के निर्माण हेतु फार्म-D के विरूद्ध प्राकृतिक गैस की रियायती दर से खरीद अनुमन्य होगा अथवा नहीं ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री ओ0 पी0 निगम, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि सर्वश्री सुपर स्नैक्स प्रा0 लि0, बी-5, साइट-3, मेरठ रोड, इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद के द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-101 / 2011 में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 23.12.2011 को निर्णय पारित करते हुए अवधारित किया गया है कि जाब वर्क पर करयोग्य वस्तु के निर्माण हेतु नेचुरल गैस की फार्म-डी के विरूद्ध रियायती दर पर खरीद अनुमन्य होगी । अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चूँकि बिस्कुट एक करयोग्य वस्तु है अत: उपर्युक्त निर्णय के आलोक में उनके प्रकरण में भी आदेश पारित किया जाये ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-12, दिनांक 05.04.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि सर्वश्री भगवती फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा जाब वर्क पर निर्माण किया जाता है । चूँकि जाब वर्क में कोई खरीद-बिक्री निहित नहीं होती है । अत: सर्वश्री भगवती फूड्स प्रा0 लि0 जाब वर्क हेतु प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत डीलर की श्रेणी में नहीं आते हैं । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-IV के क्रमांक-8 (a) पर सी0 एन0 जी0 से भिन्न नेचुरल गैस की किसी पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई द्वारा नानवैट वैट गुड्स से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण हेतु बिक्री पर फार्म-डी, के विरूद्ध 5% की दर से करदेयता प्राविधानित है । उक्त प्राविधान से यह स्पष्ट है कि किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा नान वैट्स गुड्स से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण के प्रयोजनार्थ नेचुरल गैस की खरीद की जा रही हो तब फार्म-डी के विरूद्ध 5% की दर से कर देय होगा । अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी वह व्यापारी है जिसकी खरीद-बिक्री के करयोग्य आवर्त पर करदेयता हो । चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में सर्वश्री भगवती फूड्स प्रा0 लि0 द्वारा जाब वर्क किया जाता है तथा स्वयं कोई खरीद-बिक्री नहीं की जाती है अत: जाब वर्क के प्रयोजनार्थ वह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी की श्रेणी में नहीं आते हैं । अत: मेरा यह दृढ़ मत है कि जाब वर्क पर निर्माण में

....2

प्रयोग हेतु सर्वश्री भगवती फूड्स प्रा0 लि0 को फार्म-डी, के विरूद्ध नेचुरल गैस की खरीद की सुविधा अनुमन्य नहीं होनी चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में ' जाब वर्क ' के आधार पर करयोग्य वस्तु के निर्माण हेतु नेचुरल गैस की खरीद फार्म-डी के विरूद्ध रियायती दर से करने की अनुमन्यता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उपर्युक्तानुसार धारा-59 (1) के प्राविधानों से स्पष्ट है कि ' जाब वर्क ' पर करयोग्य वस्तु के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-8(a) के प्राविधान के अनुसार नेचुरल गैस की रियायती दर से खरीद की अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है। अत: प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है जिसके कारण प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में जो प्रश्न पूछा गया है उसके सम्बन्ध में पूर्व में ही तत्कालीन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री सुपर स्नैक्स प्रा0 लि0, बी-5, साइट-3, मेरठ रोड, इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद के द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-101 / 2011 में दिनांक 23.12.2011 एवं सर्वश्री मोहन स्टील्स लि0, साइट नं0-1, गजौली इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर-लखनऊ रोड, उन्नाव के द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-32 / 2010 में दिनांक 29.03.2011 को पारित निर्णयों में उक्त प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। पुन: समान प्रश्न का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है जिसके कारण भी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि ' जाब वर्क ' पर निर्माण हेतु रियायती दर से फार्म-डी के विरूद्ध नेचुरल गैस (नान वैट गुड्स) के खरीद की

....3

अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर सर्वश्री सुपर स्नैक्स प्रा0 लि0, बी-5, साइट-3, मेरठ रोड, इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-101 / 2011 में निर्णय दिनांक 23.12.2011 एवं सर्वश्री मोहन स्टील्स लि0, साइट नं0-1, गजौली इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर-लखनऊ रोड, उन्नाव द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-32 / 2010 में निर्णय दिनांक 29.03.2011 से दे दिया गया है। पुनः उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मई, 2014

ह0 / 12.05.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।